बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः—12 / वि0—132 / 2025— 121 पटना—15, दिनांकः— 27/01/2026

सेवामें,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषय —लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अन्तर्गत गर्मी के मौसम में सुखाड़ एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराने हेतु वाटर टैंकर क्रय से संबंधित कुल ₹1040.52 लाख (दस करोड़ चालीस लाख बावन हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश—टैंकर क्रय हेतु स्वीकृत।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025—26 में गर्मी के मौसम में सुखाड़ एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराने हेतु वाटर टैंकर क्रय से संबंधित योजना की स्वीकृति हेतु 130 अदद (क्षमता 3600 लीटर, SS304 Grade Stainless Stell) वाटर टैंकर के क्रय हेतु वाटर टैंकर क्रय से संबंधित कुल ₹1040.52 लाख (दस करोड़ चालीस लाख बावन हजार रूपये) मात्र की राशि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त वाटर टैंकर के क्रय हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक—03 / बजट—01—10 / 2025—20, दि0—21.04.2025 द्वारा बजट शीर्ष 2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण, उप मुख्य शीर्ष—07—आपदा प्रबंधन, लघु शीर्ष—101—आपदा शमन, उप शीर्ष—0001—आपदा न्यूनीकरण हेतु व्यय, मांग संख्या—39, विपत्र कोड—39—2245071010001 में विषय शीर्ष—27—01 लधु कार्य अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को ₹1040.52 लाख (दस करोड़ चालीस लाख बावन हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित किया गया है।

3 इस योजना पर होने वाला व्यय उक्त आवंटित राशि के तहत भारितव्य होगा।

4. इस योजना पर मुख्य अभियंता (यांत्रिक) द्वारा कुल **₹1040.52 लाख** (दस करोड़ चालीस लाख बावन हजार रूपये) मात्र की प्राक्कलित राशि (प्राक्कलन की छायाप्रति संलग्न) पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमण्डल, पटना, बिहार होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

6. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

7. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (मुख्यालय / कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

8. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

9. वित्त विभाग का ज्ञापांक संख्या–2561 वि0 (2), दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

11. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

12. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) की होगी जो योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम दो बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को जरूर उपलब्ध करायेंगे।

13. वर्ष 2025–26 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

15. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक :–12/वि0–132/2025–121 पटना– 15, दिनांक :– 27/1/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी, बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/मुख्य अभियंता (यांत्रिक) बजट पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या–4/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या–2/प्रशाखा पदाधिकारी–4 एवं 12/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सभी अधीक्षण अभियन्ता (असैनिक/यांत्रिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, बिहार/सभी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल (असैनिक/यांत्रिक), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)